न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–88/2022

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 18.03.2023 के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से दिनांक 18.03.2023 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 18.03.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा अपने पूर्वजों के नाम साबिक खतियान के आधार पर वादपत्र के मद न0–02, 03 एवं 04 में दी गयी भूमि पर अपने हक एवं हकियत हेतु स्वत्व वाद लाया गया है। प्रतिवादीगणों द्वारा सम्मन नोटिस लेने से इंकार कर दिया गया तथा बोले कि वादीगण के दखल कब्जें वाली बहुमूल्य भूमि को बिक्री कर देगें। प्रतिवादीगण स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के भूमाफियाओं से मिलकर वादीगण के हक व हकियत वाली बहुमूल्य भूमि की बिक्री हेतु बातचीत करते देखे एवं सुने गये है। वादीगण के पूर्वज झपसी बढई पिता कन्हई बढई करके साबिक सर्वे खतियान में दर्ज है। प्रतिवादीगणों के पूर्वज हालसर्वे खतियान झपसी बढई के पिता टेंगर बढई के नाम से दर्ज कराकर जमीन पर विवाद करके अपना दावा व अधिकार कर रहे है। प्रतिवादीगण काफी मुहजोर एवं दबंग व्यक्ति है। वादीगण को यह भय है कि कभी भी वादी के कब्जें वाली बहुमूल्य भूमि को बिक्री कर सकते है। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। मद न0–02, 03 एवं 04 वाली भूमि पर प्रतिवादीगणों को बिक्री करने एवं स्वरूप परिवर्तन करने से रोकना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा की तुला वादीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर प्रतिवादीगण को	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–88/2022</u>

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.09.2023	वादग्रस्त भूमि की बिक्री करने तथा मोजाहमत करने पर रोक लगाया गया। वादीगण इसके लिए श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगें। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 10.07.2023 को वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादीगण का आवेदन दिनांक 18.03.2023 को खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि साबिक सर्वे में जो पूर्वजों का नाम दिया गया है उसकी जानकारी प्रतिवादीगणों को नही है। मूल रूप से साबिक सर्वे को समाप्त कर हालसर्वे खतियान तैयार हो गया है। उसी आधार पर हक एवं हिस्से की जोत आबाद बंटवारा करके फरीक किया करते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणों के द्वारा भूमि बिक्री करने की बात झुठ, बनावटी व गलत कही गयी है। प्रतिवादीगणों द्वारा कोई भूमि बिक्री करने की बातचीत नही चल रही है और न ही बेदखल करने की बातचीत चल रही है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जें में है। झपसी बढई के पिता टेंगर बढई थे। हालसर्वे खतियान देखने से जाहिर होगा कि झपसी बढई वल्द टेंगर बढई खाता सं0–100 एवं खाता सं0–38 के रैयती खाना में झपसी बढई के पिता टेंगर बढई दर्ज है। इसी भूमि पर प्रतिवादीगण शांतिपूर्ण दखल कब्जें में चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन बनता है। प्रतिवादीगण टेंगर बढई के वारिसान है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज करना न्यायहित में अति आवश्यक है। अगर वादीगण का आवेदन श्रीमान् के द्वारा खारिज नही किया जाता है तो प्रतिवादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन को विशेष खर्चे के साथ खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा अपने पूर्वजों	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–88/2022

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.09.2023	के नाम साबिक खतियान के आधार पर वादपत्र के मद न0–02, 03 एवं 04 में दी गयी भूमि पर अपने हक एवं हकियत हेतु स्वत्व वाद लाये है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? वादीगण का कहना है कि साबिक सर्वे खतियान में रैयती खाने में झपसी बढई वल्द कन्हई कौम–बढई करके दर्ज है परंतु हालसर्वे खतियान में मौजा–गोनौली खाता–100 में तथा मौजा–परोराहा के खाता–38 तथा अन्य में प्रतिवादीगणों के पूर्वज जगुबीर बढई द्वारा बनियत खाम एवं चतुराई से रैयत खाने में झपसी बढई वल्द टेंगर दर्ज करा दिया गया है। जिसकी बुनियाद पर प्रतिवादीगण खतियानी रैयती झपसी बढई के वारिस होने का दावा कर रहे है तथा वादीगण की खतियानी जायदाद में दखल अंदाजी कर रहे है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का दखल कब्जा है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे खतियान के खाता–100 एवं खाता–38 में झपसी बढई के पिता टेंगर बढई का नाम दर्ज है, अर्थात झपसी बढई के पिता टेंगर बढई थे तथा साबिक सर्वे खतियान के रैयती खाना में झपसी बढई कौम–बढई करके जो दर्ज है, उसमें कन्हई बढई गलत दर्ज कराया गया है। खाता–100 की 1/4 भूमि तथा खाता–38 की कुल भूमि प्रतिवादीगण के दखल कब्जें में चली आ रही है तथा जिसकी जमाबंदी–106 है। उभय पक्षों द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने–अपने पूर्वज की होना बताया गया है। वादीगण द्वारा हाल सर्वे खतियान में झपसी बढई के पिता गलत दर्ज होना बताया गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा साबिक सर्वे खतियान में झपसी बढई के पिता का नाम गलत दर्ज होना बताया गया है।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–88/2022</u>

बसंत शर्मा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरिनारायण शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 15.09.2023	वाद के इस स्तर पर बिना गुण–दोष के आधार पर यह निर्णीत नही किया जा सकता कि झपसी बढई के पिता का सही नाम क्या था? अतः प्रथम दृष्टया वाद वादीगण की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा करे। वादीगण द्वारा आशंका जतायी गयी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने को आमादा है जबकि प्रतिवादीगणों द्वारा अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादीगण मद न0–04 की वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जें में है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय करने की कोई बातचीत नही चल रही है अर्थात प्रतिवादीगण भी वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना नही चाहते है। अतः वाद लंबन के दौरान न्यायालय के आगामी आदेश तक उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status quo) बनाये रखेंगें तथा कोई भी पक्ष वादग्रस्त भूमि का बिना न्यायालय की अनुमति के विक्रय नही करेगा। अतः वादीगण का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 18.03.2023 को निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 06.10.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	